



दिनांक: 20.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना देवबन्द द्वारा पुलिस मुठभेड में 01 शातिर गौकश/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, पशु चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 19/06/2026 की रात्रि को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा दीवालहेडी के रजवाहे की पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी तभी दीवालहेडी के रजवाहे की पुलिया की ओर से एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्धों को टार्च की रोशनी दिखाकर चैकिंग हेतु रुकने का इशारा किया नजदीक आने पर मोटर साइकिल पर सवार दोनो व्यक्तियों में से मोटर साइकिल चला रहे व्यक्ति ने मोटरसाइकिल को तेजी से पीछे की ओर भागने का प्रयास किया तभी मोटर साइकिल फिसल कर गिर गयी और मोटर साइकिल सवार दोनो व्यक्ति मोटर साइकिल छोड़कर खेतों व जंगलों की तरफ भाग हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए नजदीक में ही खड़े पेड़ व झाड़ी की आड़ लेकर हम पुलिस वालों पर लगातार फायर करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **अहसान पुत्र असगर निवासी ग्राम भनैडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई, तथा 01 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार अभियुक्त की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल/गिरफ्तार बदमाश थाना स्थानीय का एचएस नं०- 76/ए है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु०अ०स० 443/2026 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार घायल/बदमाश के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अहसान पुत्र असगर निवासी ग्राम भनैडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- 01 तमंचा .315 बोर
- 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल सुपर स्पलैन्डर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०स० 37/15 धारा 3/5/8 गौवध अधि० देवबन्द सहारनपुर
2. मु०अ०स० 231/16 धारा 379 भा.द.वि देवबन्द सहारनपुर
3. मु०अ०स० 268/16 धारा 380/411 भादवि देवबन्द सहारनपुर

4. मु0अ0सं0 269/16 धारा 380/411 भादवि देवबन्दसहारनपुर
5. मु0अ0सं0 270/16 धारा 380 भा.द.वि देवबन्द सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 272/16 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 देवबन्द सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 637/17 धारा 380/411 भादवि देवबन्द सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 658/17 धारा 379/411 भादवि देवबन्द सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 682/17 धारा 399/402/307 भादवि देवबन्द सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 683/17 धारा 3/25 A Act देवबन्द सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 22/20 धारा 3/5ए/8 CS Act देवबन्द सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 248/20 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट बडगांव सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 249/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 बडगांव सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 692/20 धारा 2/3 गैग्रेस्टर अधि0 देवबन्द सहारनपुर
15. मु0अ0सं0 421/21 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट देवबन्द सहारनपुर
16. मु0अ0सं0 734/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 देवबन्द सहारनपुर
17. मु0अ0सं0 835/17 धारा 2(b)(iii) गैग्रेस्टर अधि0 देवबन्द सहारनपुर
18. मु0अ0सं0 73/22 धारा 2/3 गैग्रेस्टर अधि0 देवबन्द सहारनपुर
19. मु0अ0सं0 198/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 देवबन्द सहारनपुर
20. मु0अ0सं0 235/24 धारा 380/411 भादवि देवबन्द सहारनपुर
21. मु0अ0सं0 347/24 धारा 305(a), 317(4), 317(5) बीएनएस देवबन्द सहारनपुर
22. मु0अ0सं0 154/26 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस नांगल सहारनपुर
23. मु0अ0सं0 698/23 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस देवबन्द सहारनपुर
24. मु0अ0सं0- 354/26 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर
25. मु0अ0सं0- 443/26 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना देवबन्द

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना देवबन्द सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
3. है0का0 1319 अनूज सिरोही थाना देवबन्द सहारनपुर
4. है0का0 1289 विकास पंवार थाना देवबन्द सहारनपुर
5. का0 16 पवन थाना देवबन्द सहारनपुर
6. का0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़ द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर) व 01 एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, गोकशी, हत्या, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 19/20.06.2026 की रात्रि प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र सिंह मय पुलिस फौर्स के द्रोणाचार्य इन्सटीट्यूट खुशहालीपुर के पास चैकिंग कर रहे थे। चैकिंग के दौरान 02 व्यक्ति एक मोटर साइकिल पर सतपुरा की ओर से आते दिखाई दिये संदिग्ध प्रतीत होने पर टॉर्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने लगे। उबड़ खाबड़ खडन्जा होने के कारण मोटर साइकिल फिसल कर गिर गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश /अभियुक्त की पहचान रहमान पुत्र इल्ताफ निवासी किशनगढ़ कॉलोनी कस्बा व थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया गया तथा 01 अन्य बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0स0 101/26 अन्तर्गत धारा 109(1)/317(5)/336 बी0एन0एस0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रहमान पुत्र इल्ताफ उर्फ अल्ताफ नि0 किशनगढ़ कालोनी कस्बा व थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर (नाल में फसा हुआ)
- 01 मोटर साइकिल
- 01 एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 58/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 216/22 धारा 414, 420, 482 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 92/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 93/23 धारा 224 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 553/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 554/20 धारा 414 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

7. मु0अ0सं0 11/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री संजीव यादव थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 912 मोतीलाल थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
6. है0का0 427 अंकित थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
7. है0का0 427 अंकित थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
8. हैड का0 1218 विकास कुमार बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
9. का0 61 गौतम थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
10. का0 2112 मनोज कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 20.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश
थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.06.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान वारण्टी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र सागर भगत निवासी मौहल्ला धोबीघाट बगीची थाना मण्डी सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या – 25/2025, मु0अ0स0 231/2004 धारा 498 (ए)/324/325/323/506 भादवि माननीय न्यायालय सिविल जज (जु0डी) एफटीसी (महिलाओ के विरुद्ध अपराध) सहारनपुर में नियत तिथि – 22.06.2026 में मौहल्ला धोबीघाट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शिवकुमार पुत्र सागर भगत निवासी मौहल्ला धोबीघाट बगीची थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 345 फारूख अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. रि0का0 1216 हेमन्त कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 20.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.06.2026 को वादी यशपाल पुत्र मलखान निवाली ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर रजि0 न0 UP11CH4835 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दी। जिसके सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 95/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसी के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **अभियुक्त शाहनवाज पुत्र इरशाद निवासी ग्राम सलेमपुर भूकड़ी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को ग्राम सुन्दरपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर रजि0 न0- UP11CH4835 को बरामद किया गया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहनवाज पुत्र इरशाद निवासी ग्राम सलेमपुर भूकड़ी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 01 मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर रजि0 नं0 UP11CH4835

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 हवन सिंह चीमा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
3. का0 544 योगेश थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
4. का0 546 दीपक थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर



दिनांक-20.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घंटे में सरिया चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 03 शातिर सरिया चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदाही पर चोरी गया 07 टन सरिया सहित 01 ट्रक-ट्रेलर, 01 कार एवं इलेक्ट्रॉनिक चिप व रिमोट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.6.2025 को वादी उमरेश पाण्डेय पुत्र नन्द कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम बडका गांव थाना पयागपुर जिला बहराइच की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1.रिजवान पुत्र इरफान निवासी ग्राम सौलना थाना धौलाना जिला हापुड 2.मुसलीन पुत्र शफाकत निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जिला हापुड व अन्य अज्ञात के विरुद्ध गाजियाबाद से 32 टन सरिया लोड करके जो शाकुम्भरी मन्दिर के पास मल्टीलेवर कार पार्किंग जो निर्माणाधीन है के लिये रवाना हुए थे, परन्तु उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा धोखाधड़ी से योजना बनाते हुए रास्ते में 07 टन सरिया चोरी कर लेना तथा शेष 25 टन सरिया को जालसाजी करके गन्देवड के धर्मकाटे पर कांटा करने से पूर्व एक चिप लगाकर रिमोट से जब गन्देवड धर्मकाटे पर काटा कराया गया तो 25 टन सरिया को भी 32 टन सरिया दर्शाकर शाकुम्भरी पार्किंग में उतारने के सम्बन्ध में धोखाधड़ी व 07 टन सरिया गायब/चोरी करने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 177/26 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अपराधियों/चोरों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं चोरी गये सरिये की बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/ गस्त के दौरान 03 शातिर सरिया चोर/अभियुक्तगण 1. युसुफ पुत्र उम्मेद अली निवासी ग्राम लोहगरा थाना अगौता जिला बुलन्दशहर 2. फहीम पुत्र फरीयाद निवासी लोहगरा थाना अगौता जिला बुलन्दशहर 3. मुसलीन पुत्र शफाकत निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जिला हापुड को ग्राम शेरपुर पेलो के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे/निशांदाही पर 01 ट्रक/ ट्रेलर UP 14 GT 4826 जिसमें 07 टन सरिया लदा हुआ, 01 बलैनो गाडी (फर्जी नम्बर प्लेट के साथ), 01 चिप तथा 01 रिमोट बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/336(3)/338/340(2)/111 बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. युसुफ पुत्र उम्मेद अली निवासी ग्राम लोहगरा थाना अगौता जिला बुलन्दशहर
2. फहीम पुत्र फरीयाद निवासी लोहगरा थाना अगौता जिला बुलन्दशहर
3. मुसलीन पुत्र शफाकत निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जिला हापुड

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम तीनों ने मिलकर गाजियाबाद से निर्धारित गंतव्य हेतु सामग्री लोड कर रवाना होने के पश्चात मार्ग में योजनाबद्ध तरीके से लगभग एक-चौथाई सरिया उतारकर उसका गबन कर लिया था। सामग्री के अंतिम गंतव्य स्थल के निकट स्थित धर्मकांटों पर वजन कराए जाने से पूर्व हम वाहन में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप स्थापित कर देते थे, जिसका संचालन हमारे द्वारा रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किया जाता था। उक्त उपकरण की सहायता से वास्तविक वजन कम होने के बावजूद धर्मकांटे पर मूल/पूर्ण वजन प्रदर्शित कराया जाता था, जिससे चोरी किए गए माल का पता नहीं चल पाता था। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि हम अपने निजी वाहन का उपयोग कर पुलिस की गतिविधियों एवं मार्ग की निगरानी (रेकी) करते थे, ताकि कार्रवाई से बचते हुए अपने आपराधिक कृत्य को अंजाम दे सकें।

बरामदगी का विवरण-

- 01 ट्रक/ ट्रेलर UP 14 GT 4826 जिसमें चोरी हुआ 07 टन सरिया लदा है।
- 01 बलैनो कार जिसके आगे की प्लेट पर UP 13CN 1328 व पीछे की प्लेट पर UP 13CN 1828 नम्बर अंकित है।
- धर्मकाटा पर लगायी गयी 01 चिप व 01 रिमोट जिनका प्रयोग कर कम वजन को अधिक दिखाया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त मुर्सलीन का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0स0 8/26 धारा 303(2)/317(2)/61(1) बीएनएस थाना बाबरी जिला शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्र0नि0 सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 राजकुमार गौतम थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. हेका0 1318 दीपक शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. का0 1666 पंकज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. का0 1477 कपिल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



दिनांक 20.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर साइबर पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन साईबर ठगी के 3500/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में कराई गई वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 03/01/2026 को आवेदक अमन कुमार पुत्र सोमप्रकाश निवासी न्यू शारदा नगर कैलासी लाइन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा 3500/- रुपये धोखाधडी करके साईबर ठगी के सम्बन्ध में दिनांक 03/01/2026 को थाना कुतुबशेर पर साईबर शिकायत नम्बर 23101260001347 प्राप्त हुयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में साइबर ठगी के द्वारा ठगी गई धनराशि को वापस कराये जाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा थाना कुतुबशेर पर उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुये फ्रॉड में गयी समस्त धनराशि 3500/- रुपये आवेदक अमन कुमार उपरोक्त के खाते में धनराशि वापस करायी गयी। आवेदक अमन कुमार उपरोक्त द्वारा थाना कुतुबशेर साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर फ्रॉड में गई धनराशि बरामद कराने वाली साईबर टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री कंवरपाल थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
4. कम्प0आप0 ग्रेड-ए अरुण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. हैड का0 809 विनोद कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. का0 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



दिनांक 20.06.26

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र थाना फतेहपुर पर किशोर युवक को सकुशल बरामद कर उसके परिवार के सुपुर्द किया

अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.26 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में एवं सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध करने वालों के विरुद्ध चलाये गये अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित रखने हेतु मिशन शक्ति फेज 5.0 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत थाना फतेहपुर क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के नेतृत्व में थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर पर मुकेश कश्यप निवासी संतनगर कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर द्वारा एक तहरीर अपने पुत्र सागर कश्यप के कहीं गुम हो जाने के सम्बन्ध में दी थी जिसमें थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा गुमशुदा किशोर युवक सागर कश्यप को अन्दर 12 घण्टे में सकुशल बरामद कर उसके पिता मुकेश व भाई सन्नी कश्यप व शुभम पुत्र जयपाल सिंह के सुपुर्द किया।

प्रभारी निरीक्षक महोदय व महिला उपनिरीक्षक मिथिलेश राठौर और एन्टीरोमियो टीम युवक के परिवार द्वारा बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता की सराहना की।